न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
17/10/2018	21-05-2018	28-06-2018

1–श्री मूर्ति मंदिर श्री सीताराम जी महाराज विराजमान गद्दी ग्राम मोलावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान जरिये वाएतमाम महन्त हजारी दास जी महाराज विराजमान मोलावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0)

--प्रार्थी

बनाम

1–मामचंन्द पुत्र लेखराम जाति अहीर
2–मूलचन्द पुत्र लालचन्द जाति अहीर निवासीयान ग्राम ईश्वरसिंहपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर राज0
3–शेरसिंह पुत्र छाजूराम जाति बावरिया
4–राजेन्द्र पुत्र छाजूराम जाति बावरिया निवासीयान ग्राम ईश्वरसिंहपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर राज0
5–संजय गाडन पुत्र श्री ईश्वर सिंह जाति गाडन निवासी 20 गणेश नगर जयपुर (राजस्थान)

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री जर्नादन शर्मा –वकील प्रार्थी
02. श्री अनिल प्रजापत –वकील अप्रार्थी

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी मूर्ति मन्दिर सीताराम जी महाराज बनाम मामचन्द वगे0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि बअनुवानी श्री मूर्ति सीताराम जी महाराज बनाम मामचन्द वगे0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना, अलवर में विचाराधीन हैं। जो सन 2010 से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना में विचाराधीन है। जिसको वादीगण सुनवाई कर निर्णय करवाना चाहते है किन्तु प्रतिवादीगण मुकदमे को ऐन केन प्रकेण लम्बा चलाना चाहते है। उपखण्ड अधिकारी नीमराना के यहां मुकदमों की संख्या ज्यादा है इसलिए उक्त मुकदमें को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकील फरमावें। माननीय् राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 29.09.2016 को तथा दिनांक 28.07.2017 को अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिये की उक्त मुकदमें को 2 माह के अन्दर सुनवाई कर निर्णय पारित करें इसके उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मुकदमें में लम्बी–लम्बी तारीख दी जा रही है। अप्रार्थीगण ऐलानिया तौर पर यह कह चुकि है की जितना जल्दी तुम चाहते हो मुकदमे की सुनवाई इतनी जल्दी नही होने देगें। विपक्षी पार्टी राजनैतिक रूप से व अन्य तरिके से पीठासीन अधिकारी को प्रभाव मे लिए हुए है इस कारण माननीय् राजस्व मण्डल के आदेशों की पालना नही हो रही है। विपक्षीगण अधिनस्थ न्यायालय को निष्पक्ष न्याय करने मे बाधा उत्पन्न कर रहे है। इसलिए प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय की कतई उम्मीद नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय मुन्तकिल फरमाया जावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी के समस्त तथ्य झूठे व मनगंढत है प्रकरण को लम्बा करने की अप्रार्थीगण की कोई चाहत नही है बल्कि विवादित आराजी इन प्रतिवादी गण की कब्जे काश्त खातेदारी की

Scanned by CamScanner

आराजी है। प्रार्थी मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश करने का आदी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो लम्बी तारीख दी जा रही है, ना ही माननीय राजस्व मण्डल के आदेशों को नजरअन्दाज किया जा रहा है। पीठासीन अधिकारी द्वारा राजस्व मण्डल के आदेशों की पालना करते हुए अन्य मुकदमों की तरह समानान्तर नजरिया अपनाते हुए प्रार्थी के मुकदमों को सुनवाई की जा रही है। अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय को निष्पक्ष न्याय करने में कोई बाधा उत्पन्न नही की जा रही है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र भी खारिज हो चुका है। प्रकरण को लम्बित रखने के लिए प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज फरमाया जावे।

हमनें पत्रावली व प्रार्थी वकील द्वारा पेश दस्तावेजात एवं पीठासीन अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पीठासीन अधिकारी उप खण्ड अधिकारी नीमराना ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि पक्षकारान से पीठासीन अधिकारी का कोई सरोकार नही है। प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप मनगढंत एवं मिथ्या हैं यदि प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय को कोई आपत्ती नही हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में पत्रावली मुन्तकिल करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण नही बताया गया है तथा किसी स्वतन्त्र व्यक्ति के साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना को निर्देशित किया जाता है की प्रकरण में साप्ताहिक तारीख पेशीयां देकर प्रकरण का निस्तारण एक माह की अवधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नीमराना को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28–06–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner